राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–706 / 2023

कर्णिका मेहता (कर्मचारी आई.डी.– आरजेजेपी201317045739)

–अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.03.2023
आदेश की दिनांक : 13.04.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में दोनों पक्षों को अंतिम रूप से सुना गया।
2. अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी आबकारी निरीक्षक के पद पर जयपुर वृत्त (पूर्व) जिला जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानांतरण आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को प्रभारी रिडक्शन सेन्टर आर.एस.जी.एस.एम. झोटवाड़ा, जिला जयपुर शहर में स्थानांतरित किया गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि स्थानांतरण आदेश पिछली तारीख में जारी किया गया है। वास्तव में स्थानांतरण आदेश दिनांक 17.01.2023 को जारी किया गया था, जब स्थानांतरण पर पाबन्दी लागू हो चुकी थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी को आलौच्य आदेश के जरिये प्रभारी रिडेक्शन सेंटर के पर स्थानांतरित किया गया है, जबकि अपीलार्थी आबकारी निरीक्षक के पद पर है। रिडेक्शन सेंटर में आबकारी निरीक्षक का कोई पद नहीं है। ऐसे में स्थानांतरण नियम विरूद्ध एवं अनुचित तरीके से किया गया है।
3. राज्य सरकार की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश दिनांक 14.01.2023 को ही श्रीमान आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किया गया था। श्रीमान संयुक्त शासन सचिव वित्त (आबकारी) विभाग के आदेश क्रमांक प.11(16)वित्त / आब / 2021

दिनांक 14.01.2023 के द्वारा श्री गिरिवर शर्मा सहायक आबकारी अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन आर.एस.जी.एस.एम. रिडक्शन सेन्टर जयपुर से जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाड़ा के पद पर किया गया, जिसके क्रम में श्री गिरिवर शर्मा सहायक आबकारी अधिकारी को नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु जिला आबकारी अधिकारी अभियोजन, जयपुर के आदेश क्रमांक 2284 दिनांक 17.01.2023 द्वारा कार्यमुक्त किया गया, जिससे प्रभारी आर.एस.जी.एस.एम. रिडक्शन सेन्टर, जयपुर पद रिक्त हो गया। अपीलार्थी द्वारा अपने द्वारा स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश दिनांक 14.01.2023 के क्रम में दिनांक 17.01.2023 तक नवीन पदस्थापन पद पर कार्यग्रहण करने हेतु वर्तमान पद से कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में कोई भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा दिनांक 17.01.2023 को प्रभारी आर.एस.जी.एस.एम. रिडक्शन सेन्टर, जयपुर का पद रिक्त हो जाने के दृष्टिगत श्रीमान अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन जयपुर के आदेश क्रमांक प. 3/अआ/आब/संस्था/पदस्थापन/2022–23/10764 दिनांक 17.01.2023 द्वारा लक्ष्मीनारायण देवंदा, सहायक आबकारी अधिकारी, द्वितीय जयपुर शहर को अपने वर्तमान कार्य के साथ–साथ, आर.एस.जी.एस.एम. रिडक्शन सेन्टर जयपुर का कार्य सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया। यह भी अंकित किया है कि प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किसी भी अधिकारी को उसके मूल पद से एक पद उच्च पर स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जा सकता है। इस संबंध में कोई विधिक बाधा नहीं है। अपीलार्थी का मूल पद आबकारी निरीक्षक है तथा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.01.2023 द्वारा एक पद उच्च सहायक आबकारी अधिकारी (प्रभारी आर.एस.जी.एस.एम. रिडक्शन सेन्टर, जयपुर) के पद पर किया गया है, जो विधि की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण नहीं हैं।

4. अपीलार्थी की ओर से जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि प्रत्यर्थी विभाग स्वयं यह मानता है कि 17.01.2023 को श्री गिरीवर शर्मा को कार्यमुक्त किये जाने के कारण प्रभारी रिडक्शन सेंटर आर.एस.जी.एस.एम. झोटवाड़ा जिला जयपुर शहर का पद रिक्त हो गया। दिनांक 14.01.2023 को अपीलार्थीया का प्रभारी रिडक्शन सेंटर आर.एस.जी.एस.एम. झोटवाड़ा जिला जयपुर शहर में स्थानांतरण कर दिया गया था तो 17.01.2023 को उक्त पद किस आधार पर रिक्त था। वास्तवमें आदेश दिनांक 14.01.2023 से 17.01.2023 तक जारी नहीं किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 17.01.2023 के पश्चात् 19.01.2023 को जारी किया गया तथा अपीलार्थीया को दिनांक 19.01.

2023 को सांय 7.00 बजे फोन कर कार्यालय बुलाया गया तथा आदेश दिनांक 14.01.2023, जो विवादग्रस्त स्थानांतरण आदेश है, प्रदान किया गया।

5. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि दिनांक 14.01.2023 को अपीलार्थी के संबंध में स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किया गया था। स्थानांतरण आदेश बाद में जारी किया गया और चूंकि दिनांक 15.01.2023 से स्थानांतरण में प्रतिबंध लगाया गया था। अतः स्थानांतरण आदेश में पिछली तारीख 14.01.2023 अंकित की गई। अपीलार्थी के उपरोक्त तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी की ओर से यह तथ्य अंकित किये गए हैं कि अपीलार्थीया को जिस स्थान पर स्थानांतरण किया गया है, वहां पर श्री गिरवर शर्मा कार्यरत है। गिरवर शर्मा का स्थानांतरण अन्यत्र स्थान आबकारी अधिकारी, बांसवाड़ा के पद पर किया गया था और उनके स्थानांतरण होने से रिडेक्शन सेंटर आर.एस.जी.एस.एम. झोटवाड़ा, जिला जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार श्री लक्ष्मीनारायण देवन्दा को दिये जाने का आदेश दिनांक 17.01. 2023 को जारी किया गया। उक्त आदेश दिनांक 17.01.2023 (अनुलग्नक–2) में निम्न तथ्य अंकित हैं :–

> श्रीमान् संयुक्त शासन सचित वित्त (आबकारी) विभाग के आदेश क्रमांक प. 11(16)वित्त/आब/2021 दिनांक 14 जनवरी, 2023 के द्वारा श्री गिरीवर शर्मा, सहायक आबकारी अधिकारी आर.एस.जी.एस.एम. रिडक्शन सेंटर, जयपुर का स्थानान्तरण जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाड़ा के पद पर हो जाने तथा इनके स्थान पर अन्य किसी अधिकारी का पदस्थापन नही होने के कारण श्री लक्ष्मीनारायण देवन्दा, सहायक आबकारी अधिकारी, द्वितीय जयपुर शहर आगामी आदेश होने तक अपने वर्तमान कार्य के साथ साथ आर.एस.जी.एस.एम. रिडक्शन सेन्टर जयपुर का कार्य भी सम्पादित करेगे।

6. उपरोक्त आदेश दिनांक 17.01.2023 के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 17.01.2023 तक रिडेक्शन सेंटर आर.एस.जी.एस.एम. झोटवाड़ा, जिला जयपुर में अन्य किसी अधिकारी का पदस्थापन नहीं किया गया था। इसी कारण से उक्त आदेश में यह तथ्य आया है कि श्री गिरवर शर्मा के स्थान पर अन्य किसी अधिकारी का पदस्थापन नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 17.01.2023 तक रिडेक्शन सेंटर आर.एस.जी.एस.एम. झोटवाड़ा, जिला जयपुर में किसी अन्य अधिकारी को पदस्थापित नहीं किया गया था, जिससे अपीलार्थी के इस तर्क को बल मिलता है कि अपीलार्थीया का स्थानांतरण दिनांक 17.01.2023 तक रिडेक्शन सेंटर आर.एस.जी.एस.एम. झोटवाड़ा, जिला जयपुर में प्रभारी के पद पर नहीं हुआ था। अतः हम यह पाते है कि

अपीलार्थी के संबंध में स्थानांतरण आदेश दिनांक 17.01.2023 के बाद जारी किया गया, जबकि स्थानांतरण के संबंध में प्रतिबंध लागू हो चुका था। अतः अपीलार्थीया के स्थानांतरण आदेश में गलत तरीके से दिनांक 14.01.2023 लिखा जाना प्रकट होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम यह पाते है कि अपीलार्थीया के संबंध में पारित आदेश दिनांक 14.01.2023 उचित नहीं है एवं उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थीया अपनी सेवा अवधि में अधिकांश समय (लगभग 8 वर्ष) आबकारी निरीक्षक वृत्त जयपुर (पूर्व) जयपुर शहर के पद पर कार्यरत रही है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीया के संबंध में स्थानांतरण हेतु नियमानुसार नवीन आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)